रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122022-241507
CG-DL-E-30122022-241507

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2022/पौष 8, 1944**
No. 328]	**NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2022/PAUSHA 8, 1944**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

सं. 47 /2015–2020

विषयः परिशिष्ट–2क (भारत–यूएई सीईपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटे के अंतर्गत मदों का आयात) के तहत अनुलग्नक–IV में संशोधन।

फा. सं. 01/89/180/01/एएम–22/पीसी–2(ख)/ई–31419.—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सार्वजनिक सूचना सं. 06/2015–20 दिनांक 01.05.2022, 23/2015–20 दिनांक 29.08.2022, 28/2015–20 दिनांक 06.10.2022 और 32/2015–20 दिनांक 22.10.2022 के क्रम में महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा भारत–यूएई सीईपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटे के तहत मदों के आयात हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए परिशिष्ट–2क के अनुलग्नक–IV को निम्नानुसार संशोधित करते हैंः

2. परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक IV के तहत संशोधित शर्तों को इसके साथ संलग्न किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2022–23 की पहली दूसरी और तीसरी तिमाही हेतु प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत आयात के लिए जारी टीआरक्यू का दिनांक 31.03.2023 तक पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है। टीआरक्यू आबंटिती पुनर्वैधीकरण के लिए डीजीएफटी वेबसाइट (*https://dgft.gov.in*) पर --> सेवाएं --> आयात प्रबंधन प्रणाली––>प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू)––>पुनर्वैधीकरण हेतु आवेदन करें के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2022–23 की चौथी तिमाही हेतु जारी किए जाने वाले प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत टीआरक्यू हेतु वैधता 30.06.2023 होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः भारत–यूएई सीईपीए के तहत टीआरक्यू के कार्यान्वयन के संदर्भ में परिशिष्ट–2क के अनुलग्नक IV जिसमें व्यापारियों को 7108 को छोड़कर सभी प्रशुल्क लाइनों के लिए टीआरक्यू के अंतर्गत आयात करने की अनुमति दी गई है को संशोधित किया गया है। प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में पहले ही जारी टीआरक्यू को 31.03.2023 तक पुनर्वैधित किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 की चौथी तिमाही के लिए जारी किए जाने वाले प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत टीआरक्यू की वैधता 30.06.2023 होगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 से प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत टीआरक्यू का आबंटन वार्षिक आधार पर होगा। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारत–यूएई सीईपीए के तहत टीआरक्यू के लिए आवेदन हेतु अंतिम तिथि 28.02.2023 होगी।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

<u>अनुलग्नक</u>

परिशिष्ट–2क के अनुलग्नक IV में यथा उल्लिखित भारत–यूएई सीईपीए के तहत टीआरक्यू के अंतर्गत मदों के आयात हेतु शर्तों को संशोधित किया जाता है जो निम्नानुसार पढ़ा जाएगा–

इन मदों का आयात निम्नलिखित व्यवस्थाओं/प्रक्रियाओं के अधीन अनुमत होगाः–

क. आयात भारत–यूएई सीईपीए से संबंधित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2022–सीमा शुल्क दिनांक 30 अप्रैल, 2022 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन होगा।

ख. आयात खेप की निकासी के समय, भारत में आयातक को संयुक्त अरब अमीरात में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी उदगम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ग. इन आयातों के संबंध में वर्ष, दिनांक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अर्थात भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होगा।

घ. टीआरक्यू प्राधिकार–पत्र प्रदान करने हेतु सभी आवेदन डीजीएफटी की वेबसाइट (https://dgft.gov.in) --> आयात प्रबंधन प्रणाली --> प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएगें।

ड. टीआरक्यू की सीमा वार्षिक रूप से समानुपातिक होगी। अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्त वर्ष 2023–24 और उसके बाद के वार्षिक आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पिछले वित्तीय वर्ष की 28 फरवरी होगी।

च. [हटाया गया]

छ. 7108 के तहत सोने के टीआक्यू हेतु निम्नलिखित शर्तों पर विचार किया जाएगा।

i. पात्र आवेदक आभूषण विनिर्माता होना चाहिए।

ii. पात्र आवेदक आईटीसी (एचएस) के अध्याय 71 में आईटीसी (एचएस) कोड 7108, 7113, 7114 और 7118 के तहत आने वाली वस्तुओं का व्यवसाय करने वाला होना चाहिए।

iii. ऐसे आभूषण विनिर्माताओं का वार्षिक टर्न–ओवर पिछले 3 वित्तीय वर्षों में औसतन 25 करोड़ रुपये होना चाहिए।

iv. ऐसे आभूषण विनिर्माताओं का टर्न–ओवर या तो निम्नानुसार होना चाहिएः

- एचएस कोड 7113 के तहत विनिर्मित किए गए/बेचे गए मदों के 90% को समाविष्ट करता हो अथवा
- एचएस कोड 7113 के तहत विनिर्मित किए गए/बेचे गए मदों की मात्रा को समाविष्ट करता हो जो एचएस कोड 7113 के तहत संबंधित आभूषण विनिर्माता (प्रति वर्ष अनुमत टीआरक्यू आबंटन की अधिकतम सीमा तक) द्वारा कम–से–कम टीआरक्यू मात्रा बोली के बराबर हो।

v. ऐसे आभूषण विनिर्माता के पास जीएसटी संख्या होनी चाहिए और उन्होने पिछले जीएसटी रिटर्न फाइल करने की लागू अवधि तक जीएसटी रिटर्न फाइल किया हो।

vi. पात्र आवेदक के वार्षिक टर्न–ओवर सहित वित्तीय विवरण आभूषणकर्ता की जीएसटी घोषणा के आधार पर सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित/लेखापरीक्षित किया हुआ होना चाहिए।

vii. टीआरक्यू के तहत गोल्ड डोरे के आयात पर विचार नहीं किया जाएगा।

झ. 7108 के तहत सोना टीआरक्यू आयात के लिए संदर्भ अधिसूचना सं. 22/2022–सीमा शुल्क दिनांक 30 अप्रैल 2022, टीआरक्यू धारक द्वारा आरबीआई (बैंकों के मामले में) से यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों, डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा पात्र आभूषण कर्ता के माध्यम से प्रभावित हो सकता है।

ञ. [हटाया गया]

ट. [हटाया गया]

ठ. [हटाया गया]

ड. टीआरक्यू प्राधिकार–पत्र में आयातक का नाम और पता, आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी), सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या, यथा लागू प्रशुल्क मद, मात्रा और प्रमाण पत्र की वैधता अवधि शामिल होगी।

ढ़. टीआरक्यू प्राधिकार–पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) को प्रेषित किया जाएगा।

ण. टीआरक्यू के तहत किए गए आयात की अनुमति केवल आईसीईएस प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेबिट करने या डेबिट के रूप में पृष्ठांकित होने पर ही दी जाएगी।

त. उपरोक्त आवश्यकताओं के अलावा, प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत मदों के लिए टीआरक्यू प्राधिकार–पत्र में आरबीआई (बैंकों के मामले में) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों के या अन्य एजेंसियों हेतु डीजीएफटी या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा पात्र आभूषणकर्ता (आईएफएससीए) के आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी) भी शामिल होंगे। उक्त टीआरक्यू आयातक सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 18/2022–सीमा शुल्क दिनांक 10.09.2022 के साथ पठित शुल्क की रियायती दर पर या विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए वस्तुओं का सीमा शुल्क आयात नियम, 2022 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

थ. अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता को सोने की आपूर्ति (7108 के अंतर्गत आने वाले) तक आयातक को आईजीसीआर और मासिक विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया लागू होती है। जॉब वर्क पर प्रतिबंध केवल उस मामले से संबंधित हैं जहां यह आयातक से संबंधित माल पर किया जाता है और अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता जो आपूर्ति पर माल प्राप्त करता है पर लागू नहीं होता है। इसलिए, 7108 के तहत माल प्राप्त होने पर, टीआरक्यू धारक जॉब वर्क के साथ या उसके बिना विनिर्माण के लिए इसका उपयोग कर सकता है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th December, 2022

No. 47/2015-2020

Subject: Amendments in Annexure-IV under Appendix-2A (Imports of Items under TRQ under India-UAE CEPA)

F. No. 01/89/180/01/AM-22/PC-2[B]/E- 31419.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-20, and in continuation to Public Notice No. 06/2015-20 dated 01.05.2022, 23/2015-20 dated 29.08.2022, 28/2015-20 dated 06.10.2022 and 32/2015-20 dated 22.10.2022, the Directorate General of Foreign Trade hereby amends Annexure-IV of Appendix-2A laying down the procedure for import of items under TRQ under India – UAE CEPA.

2. Revised Conditions under Annexure-IV of Appendix-2A has been annexed herewith.

3. Further, TRQs issued for import under tariff head 7108 for 1st, 2nd and 3rd Quarter of FY2022-23 may be revalidated up to 31.03.2023. TRQ allottees may apply for revalidation on the DGFT Website (https://dgft.gov.in) by navigating to --> Services --> Import Management System -->Tariff Rate Quota (TRQ) --> Apply for revalidation.

4. The validity for TRQs under tariff head 7108 to be issued for 4th quarter of FY2022-23 shall be 30.06.2023.

Effect of this Public Notice: Reference the implementation of TRQs under India-UAE CEPA, Annexure-IV of Appendix-2A has been revised wherein traders have been allowed to import under TRQs for all tariff lines **except 7108**. TRQs already issued in FY 2022-23 under tariff head 7108 may be revalidated till 31.03.2023. Validity of TRQs under tariff head 7108 to be issued for 4th quarter of FY2022-23 shall be 30.06.2023. Allocation of TRQs under tariff head 7108 from FY2023-24 onwards, shall be on annual basis. The last date for application for TRQs under India-UAE CEPA for FY2023-24 shall be 28.02.2023.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.

ANNEXURE

Conditions for Imports of Items under the TRQ under India- UAE CEPA as under Annexure-IV to Appendix-2A is amended to read as follows -

These imports of Items will be permitted subject to the following arrangements/ procedure: -

a. Import would be subject to Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 22/2022-Customs dated 30th April 2022 (as amended from time to time) relating to India-UAE CEPA.

b. At the time of clearance of the import consignment, the importer in India must produce a Certificate of Origin issued by concerned authorities in UAE.

c. The year in respect of these imports will be the period from 1st April to 31st March, i.e., financial year in India.

d. All applications for grant of TRQ authorizations shall be submitted online through the DGFT website (https://dgft.gov.in) --> Import Management System -->Tariff Rate Quota (TRQ)

e. TRQ limits to be proportioned annually. The application along with the requisite fee is required to be filed online. The last date for applications for annual allocation for FY 2023-24 and onwards shall be 28th February of the previous financial year.

f. [deleted]

g. For Gold TRQ under 7108, the following conditions shall be considered additionally:

   i. Eligible Applicant must be a jewellery manufacturer.

   ii. Eligible Applicant must be engaged in the business of goods falling under ITC(HS) codes 7108, 7113, 7114 and 7118 in Chapter 71 of ITC(HS).

   iii. Such Jewellery manufacturer should have an average annual turnover of Rs. 25 crores over the last 3 financial years.

   iv. The turnover of such Jewellery manufacturer should either:

   - comprise of 90% of items manufactured/sold under HS code 7113, or
   - comprise of a quantity of items manufactured/sold under HS code 7113 which is at least equal to the TRQ quantity bid by the respective jewellery manufacturer (capped to the maximum TRQ allocation permissible per annum) under HS code 7113.

   v. Such Jewellery manufacturer should have a GST number and should have filed GST returns up to the applicable preceding GST return filing period.

   vi. Financial statements containing annual turnovers of the eligible applicant should be duly certified/audited by a Chartered Accountant, on the basis of the jewellers GST declarations.

   vii. Import of Gold Dore under TRQ shall not be considered.

h. Reference Notification No. 22/2022-Customs dated 30th April 2022, for Gold TRQ imports under 7108, may be affected by the TRQ holder through Nominated Agencies as notified by RBI (in case of banks), nominated agencies notified by DGFT or Qualified Jewellers as notified by International Financial Services Centres Authority (IFSCA).

i. [deleted]

j. [deleted]

k. [deleted]

l. The TRQ authorisation shall contain the name and address of the importer, Importer -Exporter Code (IEC), Customs notification number, tariff item as applicable, quantity and validity period of the certificate.

m. The TRQ authorisation shall be issued electronically by the Directorate General of Foreign Trade and transmitted to Indian Customs EDI System (ICES).

n. Imports made against the TRQ shall be allowed only upon debiting electronically in the ICES system or on debit as endorsed.

o. In addition to the requirements as above, the TRQ authorization for items under Tariff head 7108 shall also contain Importer-Exporter Code (IEC) of nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) or DGFT for other agencies, or qualified jewellers as notified by International Financial Services Centres Authority (IFSCA). The said TRQ importer shall follow the procedure set out in the Customs Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for specified end use) Rules, 2022 read with Customs Circular No. 18/2022-Customs dated 10.09.2022.

p. The IGCR procedure applies to the importer till supply of gold (falling under 7108) to end-use recipient and filing of monthly statement. The restrictions on job work are only relating to the case where it is undertaken on the goods belonging to importer and does not apply to the end use recipient who receives the goods on supply. Therefore, on receipt of goods under 7108, the TRQ holder may utilize the same for manufacture with or without job work.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.12.30 15:25:11 +05'30'